

4-10-19 वकील उमयपत्त उपस्थित बधस सुनी गई
बधस पर गनन किया गया पत्रावली का
अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बाद
वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया
जाकर विद्वत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर
शुबल न्यायालय के सुनाया जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर स
का की जाकर बाद तकनील अखिल
दफतर है।

(कपिल यादव)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते

7-10-19

वकील डा.पी. हारा निर्णय डि.क्र. 4-10-19 की
पाटना में छिटी जाति करवाने हेतु स्याम्प पेशानिया
जो शांति में किया जाकर छिटी जाति कर शांति
पत्रावली की गई।

(कपिल यादव)

पीठासीन अधिकारी :- कपिल यादव आर ए एस

राजस्व वाद संख्या :- 314/2019

- 1 गुरदास सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति जटसिख साकिन चक 18 एल.एल.डबल्यू, तहसील हनुमानगढ़।
- 2 इकबाल सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति जटसिख साकिन चक 18 एल.एल.डबल्यू, तहसील हनुमानगढ़।
- 3 गुरदीप सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति जटसिख साकिन चक 18 एल.एल.डबल्यू, तहसील हनुमानगढ़।
- 4 परमजीत कौर पत्नी सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू, तहसील हनुमानगढ़।
- 5 देवेन्द्र सिंह पुत्र सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू, तहसील हनुमानगढ़।

-- वादीगण

-- वनाम :-

- 1 वकील सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू, तहसील हनुमानगढ़।
- 2 पवन कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू, तहसील हनुमानगढ़।
- 3 मुकेश कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू, तहसील हनुमानगढ़।
- 4 गुरचरण सिंह पुत्र जंगीर जाति जटसिख साकिन 18 एल.एल.डबल्यू, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 5 गुरनाम सिंह पुत्र जंगीर जाति जटसिख साकिन 18 एल.एल.डबल्यू, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 6 लाम सिंह पुत्र पुत्र जंगीर जाति जटसिख साकिन 18 एल.एल.डबल्यू, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 7 कौर सिंह पुत्र नाजर सिंह जाति जटसिख निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 8 धीरा सिंह पुत्र गुरवचनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू, तहसील हनुमानगढ़।
- 9 सुखदीप कौर पुत्री गुरवचन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू, तहसील हनुमानगढ़।
- 10 जशदीप कौर पुत्री गुरवचन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू, तहसील हनुमानगढ़।
- 11 अमर सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू, तहसील हनुमानगढ़।
- 12 धन्ना सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू, तहसील हनुमानगढ़।
- 13 नसीब कौर पत्नी मुकंद सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू, तहसील हनुमानगढ़।
- 14 सुखमन्दरसिंह पुत्र मुकंद सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू, तहसील हनुमानगढ़।

लगातार 2

- 15 एकम सिंह पुत्र मुकंद सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू, तहसील हनुमानगढ़।
- 16 सतपाल सिंह पुत्र मुकंद सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू, तहसील हनुमानगढ़।
- 17 सुखदेव सिंह पुत्र कालासिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू, तहसील हनुमानगढ़।
- 18 महेन्द्रसिंह पुत्र काला सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू, तहसील हनुमानगढ़।
- 19 बलदेव सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू, तहसील हनुमानगढ़।
- 20 पी.एन.बी. शाखा हनुमानगढ़ जंक्शन
- 21 बैंक आफ बडौदा शाखा हनुमानगढ़ जंक्शन
- 22 एक्सिस बैंक हनुमानगढ़ जंक्शन
- 23 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. कुमारी सन्तोष पुनियां अधिवक्ता वादीगण
2. श्री रामकुमार बिश्नोई अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19
3. राज पैरोकार प्रतिवादी संख्या 23

—:: निर्णय ::—

दिनांक :- ५.१.२०१९.

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 19 के नाम से संयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक नम्बर 25 एम. एम.के. पटवार हल्का मानुका तहसील हनुमानगढ़ खाता संख्या 27/124 मे पत्थर नम्बर 88/211 मुरब्बा नम्बर 79 किला नम्बर 14 से 18, 21 से 25 पत्थर नम्बर 89/211 मुरब्बा नम्बर 80 किला नम्बर 11, 12, 19, 20, 21 22 पत्थर नम्बर 89/212 मुरब्बा नम्बर 82 किला नम्बर 1, 2, 8 से 13, 17 से 24 पत्थर नम्बर 88/212 मुरब्बा नम्बर 83 किला नम्बर 1 से 25 पत्थर नम्बर 87/212 मुरब्बा नम्बर 84 किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 पत्थर नम्बर 87/213 मुरब्बा नम्बर 91 किला नम्बर 5, 6, 15, 16 पत्थर नम्बर 88/213 मुरब्बा नम्बर 92 किला नम्बर 1 से 14, 19, 20 पत्थर नम्बर 89/213 मुरब्बा नम्बर 93 किला नम्बर 1 से 4, 6 से 10 कुल खाता 23.023 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता खाला दर्ज खातेदारी है। नकल जमाबंदी चक 25 एम.एम.के. खाता संख्या 27/124 सम्वत 2074-77 हमराह पेश है।

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 19 ने अरसा पूर्व उक्त भूमियो का अच्छी मंदा व वट सीव व काश्त की सुविधा को देखते हुए घरू बंटवारा किया हुआ है। घरू बंटवारा मे वादी संख्या 1, 2, 3 गुरदास सिंह, इकबाल सिंह, गुरदीप सिंह को 7.757 हैक्टर बहिस्सा बराबर, वादी संख्या 4 व 5 परमजीत कौर, देवेन्द्र सिंह को 2.586 हैक्टर बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 01 वकील सिंह को 0.380 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 02 पवन कुमार को 0.872 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 3 मुकेश कुमार को 1.771 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 4 गुरचरण सिंह को 1.898 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 5 गुरनाम सिंह को 1.265 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 6 लाम सिंह को 1.138 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 7 कौर सिंह को 0.759 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 8, 9 धीरा सिंह, सुखदीप कौर बहिस्सा बराबर 0.844 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 11 अमर सिंह व प्रतिवादी संख्या 10 जशदीप कौर को 1.230 हैक्टर बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 12 धन्ना

लगातार 3

सहायक कलक्टर
एवं उपनिर्देशाधिकारी
हनुमानगढ़

सेह को 0.850 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 13 नसीब कौर 0.503 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 14, 15, 16 सुखमंदर सिंह, एकम सिंह, सतपाल सिंह बहिस्सा बराबर 1.511 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 17 व 18 सुखदेव सिंह महेन्द्र सिंह को बहिस्सा बराबर 0.253 हैक्टर प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 19 को इसी चक के खाता संख्या 120, 107, 22, 24, 51 में कृषि भूमि प्राप्त हुई है। घरू बंटवारा के पश्चात हम वादीगण व प्रतिवादीगण ने निम्न प्रकार से विभाजन कर कब्जा काश्त कर रहे हैं :-

1. वादी संख्या 1, 2, 3 इकबालसिंह गुरदास सिंह गुरदीप सिंह बहिस्सा बराबर 7.757 हैक्टर व वादी संख्या 4 व 5 परमजीत कौर, देवेन्द्र सिंह बहिस्सा बराबर 2.586 हैक्टर :- चक नम्बर 25 एम.एम.के. खाता संख्या 27/124 पत्थर नम्बर 88/211 (79) किला नम्बर 14, 17, 18, 23, 24 पत्थर नम्बर 88/212 (83) किला नम्बर 3/1/.223, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23, 24 पत्थर नम्बर 89/212 (12) किला नम्बर 2, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24, पत्थर नम्बर 89/211 (80) किला नम्बर 11, 12, 19, 20, 22, पत्थर नम्बर 88/213 (92) किला नम्बर 4, 7, 14 पत्थर नम्बर 89/213 (93) 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 कुल रकबा 10.343 हैक्टर।
2. प्रतिवादी संख्या 01 वकील सिंह चक नम्बर 25 एम.एम.के. खाता संख्या 27/124 पत्थर नम्बर 87/213 (91) किला नम्बर 6, पत्थर नम्बर 88/213 (92) किला नम्बर 8/1/.127 कुल तादादी 0.380 हैक्टर।
3. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 पवन कुमार 0.872 हैक्टर, मुकेश कुमार 1.771 हैक्टर :- चक नम्बर 25 एम.एम.के. खाता संख्या 27/124 पत्थर नम्बर 87/212 (84) किला नम्बर 25/2/.152, पत्थर नम्बर 87/213 (91) किला नम्बर 15, 16, पत्थर नम्बर 88/213 (92) किला नम्बर 11, 12, 13, 19, 20, 7/2/.126 कुल रकबा 2.049 हैक्टर।
4. प्रतिवादी संख्या 4 गुरचरण सिंह :- चक नम्बर 25 एम.एम.के. खाता संख्या 27/124 पत्थर नम्बर 88/211 (79) किला नम्बर 15, 16, 25 पत्थर नम्बर 89/212 (82) किला नम्बर 21 पत्थर नम्बर 88/212 (83) किला नम्बर 5, 6/1/.127 पत्थर नम्बर 89/213 (93) 1, 10 कुल रकबा 1.898 हैक्टर।
5. प्रतिवादी संख्या 5 गुरनाम सिंह :- चक नम्बर 25 एम.एम.के. खाता संख्या 27/124 पत्थर नम्बर 89/211 (80) किला नम्बर 21, पत्थर नम्बर 89/212 (82) किला नम्बर 1, 10, 11, 20 कुल रकबा 1.265 हैक्टर मय गैर मुमकिन।
6. प्रतिवादी संख्या 6 लाभ सिंह :- चक नम्बर 25 एम.एम.के. खाता संख्या 27/124 पत्थर नम्बर 88/212 (83) किला नम्बर 6/2/.126, 15, 25 पत्थर नम्बर 88/213 (92) किला नम्बर 5, 6 कुल 1.138 हैक्टर।
7. प्रतिवादी संख्या 07 कौर सिंह :- चक नम्बर 25 एम.एम.के. खाता संख्या 27/124 पत्थर नम्बर 87/212 (84) 5, 6, 15 कुल 0.759 हैक्टर।

प्रश्नगत कृषि भूमि अभी तक उक्तानुसार वर्णित विभाजन मुताबिक दर्ज नहीं हुई है जिससे वादीगण के अधिकारों पर कुठाराघात होता है तथा सरकारी लाभ व सुविधाएं प्राप्त करने में परेशानी आती है व असुविधा रहती है अतः वादीगण इस अमर की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है कि वादी संख्या 1, 2, 3 गुरदास सिंह, इकबाल सिंह, गुरदीप सिंह को 7.757 हैक्टर बहिस्सा बराबर, वादी संख्या 4 व 5 परमजीत कौर, देवेन्द्र सिंह को 2.586 हैक्टर बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 01 वकील सिंह को 0.380 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 02 पवन कुमार को 0.872 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 3 मुकेश कुमार को 1.771 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 4 गुरचरण सिंह को 1.898 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 5 गुरनाम सिंह को 1.265 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 6 लाभ सिंह को 1.138 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 7 कौर सिंह को 0.759 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 8, 9 धीरा सिंह, सुखदीप कौर बहिस्सा बराबर 0.844 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 11 अमर सिंह व प्रतिवादी संख्या 10 जशदीप कौर को 1.230 हैक्टर बहिस्सा बराबर प्रतिवादी संख्या 12 धन्ना सिंह को 0.850 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 13 नसीब कौर

सहायक जलपट्टर
एवं उपप्रशासिकारी

लगातार 4

1.503 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 14, 15, 16 सुखमंदर सिंह, एकम सिंह, सतपाल सिंह बहिस्सा बराबर 1.511 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 17 व 18 सुखदेव सिंह महेन्द्र सिंह को बहिस्सा बराबर 0.253 हैक्टर के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 19 का नाम इस खाता मे से कलमजन किया जावे।

खाता मुश्तरका होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच आये दिन रकम राज व बट सीव को लेकर विवाद रहता है। इसलिए वादी अपनी कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन करवा कर अपना खाता अलग कायम करवाना चाहता है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णितानुसार भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित करवाकर इसी चरण में वर्णितानुसार खाता विभाजन करवा देवे पहले तो वे टालमटोल करते रहे आखिर 7 रोज पूर्व मुकाम मानुका मे स्पष्ट इन्कार हो गये।

प्रतिवादी संख्या 20, 21, 22 के यहां भूमि रहन होने के कारण व प्रतिवादी संख्या 23 को बतौर भू-धारक होने से वाद मे पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार एवं पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकर डिकी फरमाया जावे :-

(क) वादी संख्या 1, 2, 3 गुरदास सिंह, इकबाल सिंह, गुरदीप सिंह को 7.757 हैक्टर बहिस्सा बराबर, वादी संख्या 4 व 5 परमजीत कौर, देवेन्द्र सिंह को 2.586 हैक्टर बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 01 वकील सिंह को 0.380 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 02 पवन कुमार को 0.872 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 3 मुकेश कुमार को 1.771 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 4 गुरचरण सिंह को 1.898 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 5 गुरनाम सिंह को 1.265 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 6 लाम सिंह को 1.138 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 7 कौर सिंह को 0.759 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 8, 9 धीरा सिंह, सुखदीप कौर बहिस्सा बराबर 0.844 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 11 अमर सिंह व प्रतिवादी संख्या 10 जशदीप कौर को 1.230 हैक्टर। बहिस्सा बराबर प्रतिवादी संख्या 12 धन्ना सिंह को 0.850 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 13 नसीब कौर 0.503 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 14, 15, 16 सुखमंदर सिंह, एकम सिंह, सतपाल सिंह बहिस्सा बराबर 1.511 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 17 व 18 सुखदेव सिंह महेन्द्र सिंह को बहिस्सा बराबर 0.253 हैक्टर के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 19 का नाम इस खाता मे से कलमजन किया जावे।

(ख) वाद की चरण संख्या 3 मे वर्णितानुसार विभाजन व कब्जा काश्त मुताबिक वादीगण व प्रतिवादीगण का खाता अलग अलग कायम की रकम राज अलग अलग कायम की जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय दिलाना उचित समझे, दिलाया जावे।

(घ) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होने के कारण दिनांक 25.09.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़ने समझने के बाद हस्ताक्षर/अंगुठा निशान किये गये। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त प्रकरण मे हम पक्षकारान का पंचायत के मौजिज व्यक्तियों ने राजीनामा करवा दिया है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 19 के नाम से संयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक नम्बर 25 एम.

मसमके कलमजर
एवं उपस्थित व्यक्तियों
हनुमानगड

6. प्रतिवादी संख्या 6 लाभ सिंह :- चक नम्बर 25 एम.एम.के. खाता संख्या 27/124 पत्थर नम्बर 88/212 (83) किला नम्बर 6/2/.126, 15, 25 पत्थर नम्बर 88/213 (92) किला नम्बर 5, 6 कुल 1.138 हैक्टर।
7. प्रतिवादी संख्या 07 कोर सिंह :- चक नम्बर 25 एम.एम.के. खाता संख्या 27/124 पत्थर नम्बर 87/212 (84) 5, 6, 15 कुल 0.759 हैक्टर।
8. प्रतिवादी संख्या 8 व 9 धीरासिंह, सुखदीपकौर :- चक नम्बर 25 एम.एम.के. खाता संख्या 27/124 पत्थर नम्बर 88/211 (79) किला नम्बर 22, पत्थर नम्बर 88/212 (83) किला नम्बर 9, 21, पत्थर नम्बर 88/213 (92) किला नम्बर 1/1/.084 कुल 0.843 हैक्टर।

मुताबिक राजीनामा वादी संख्या 1, 2, 3 गुरदास सिंह, इकवाल सिंह, गुरदीप सिंह को 7.757 हैक्टर बहिस्सा बराबर, वादी संख्या 4 व 5 परमजीत कौर, देवेन्द्र सिंह को 2.586 है। बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 01 वकील सिंह को 0.380 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 02 पवन कुमार को 0.872 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 3 मुकेश कुमार को 1.771 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 4 गुरचरण सिंह को 1.898 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 5 गुरनाम सिंह को 1.265 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 6 लाभ सिंह को 1.138 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 7 कौर सिंह को 0.759 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 8, 9 धीरा सिंह, सुखदीप कौर बहिस्सा बराबर 0.844 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 11 अमर सिंह व प्रतिवादी संख्या 10 जशदीप कौर को 1.230 हैक्टर बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 12 धन्ना सिंह को 0.850 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 13 नसीब कौर 0.503 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 14, 15, 16 सुखमंदर सिंह, एकम सिंह, सतपाल सिंह बहिस्सा बराबर 1.511 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 17 व 18 सुखदेव सिंह महेन्द्र सिंह को बहिस्सा बराबर 0.253 हैक्टर के खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 19 का नाम इस खाता मे से कलमजन किया जावे तथा उक्त वर्णितानुसार खाता विभाजन किया जावे तो हम पक्षकारान को कोई आपति एतराज नहीं है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री फरमाया जावे तो हम पक्षकारान सहमत है।

प्रतिवादी संख्या 10 ता 19 द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि इस वाद में हम प्रतिवादीगण का हक हिस्सा अनुसार घोषित किया जाकर वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाता है, तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपति एतराज नहीं है। हम प्रतिवादीगण के हकों को सुरक्षित रखते हुए वादीगण डिक्री फरमाये जानें में कोई एतराज नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 23 की और से राज पैराकार द्वारा जबाब स्टेट प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वादी वाद पत्र डिक्री किया जाता है, तो राज्य पक्ष को कोई आपति नहीं है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होने से वादी बहस सुनी गई।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दौरान बहस राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करने हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38-39-40-53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975-478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काशतकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा

लगातार 7

सिद्धि कर्ता
एवं उपस्थितकारी
नमानाई

कता है। राजस्व (गुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 3.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि विवादित आराजी के सम्बंध में पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:: आदेश ::—

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वादी संख्या 1, 2, 3 गुरदास सिंह, इकबाल सिंह, गुरदीप सिंह को 7.757 हैक्टर बहिस्सा बराबर, वादी संख्या 4 व 5 परमजीत कौर, देवेन्द्र सिंह को 2.586 हैक्टर बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 01 वकील सिंह को 0.380 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 02 पवन कुमार को 0.872 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 3 मुकेश कुमार को 1.771 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 4 गुरचरण सिंह को 1.898 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 5 गुरनाम सिंह को 1.265 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 6 लाभ सिंह को 1.138 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 7 कौर सिंह को 0.759 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 8, 9 धीरा सिंह, सुखदीप कौर बहिस्सा बराबर 0.844 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 11 अमर सिंह व प्रतिवादी संख्या 10 जशदीप कौर को 1.230 हैक्टर। बहिस्सा बराबर प्रतिवादी संख्या 12 धन्ना सिंह को 0.850 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 13 नसीब कौर 0.503 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 14, 15, 16 सुखमंदर सिंह, एकम सिंह, सतपाल सिंह बहिस्सा बराबर 1.511 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 17 व 18 सुखदेव सिंह महेन्द्र सिंह को बहिस्सा बराबर 0.253 हैक्टर के खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए प्रतिवादी संख्या 19 का नाम इस खाता मे से कलमजन किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :-

1. वादी संख्या 1, 2, 3 इकबालसिंह गुरदास सिंह गुरदीप सिंह बहिस्सा बराबर 7.757 हैक्टर व वादी संख्या 4 व 5 परमजीत कौर, देवेन्द्र सिंह बहिस्सा बराबर 2.586 हैक्टर :- चक नम्बर 25 एम.एम.के. खाता संख्या 27/124 पत्थर नम्बर 88/211 (79) किला नम्बर 14, 17, 18, 23, 24 पत्थर नम्बर 88/212 (83) किला नम्बर 3/1/223, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23, 24 पत्थर नम्बर 89/212 (12) किला नम्बर 2, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24, पत्थर नम्बर 89/211 (80) किला नम्बर 11, 12, 19, 20, 22, पत्थर नम्बर 88/213 (92) किला नम्बर 4, 7, 14 पत्थर नम्बर 89/213 (93) 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 कुल रकबा 10.343 हैक्टर।

सहायक जज
ए.आई.आर. विभाग

2. प्रतिवादी संख्या 01 वकील सिंह चक नम्बर 25 एम.एम.के. खाता संख्या 27/124 पत्थर नम्बर 87/213 (91) किला नम्बर 6, पत्थर नम्बर 88/213 (92) किला नम्बर 8/1/.127 कुल तादादी 0.380 हैक्टर।
3. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 पवन कुमार 0.872 हैक्टर, मुकेश कुमार 1.771 हैक्टर :- चक नम्बर 25 एम.एम.के. खाता संख्या 27/124 पत्थर नम्बर 87/212 (84) किला नम्बर 25/2/.152, पत्थर नम्बर 87/213 (91) किला नम्बर 15, 16, पत्थर नम्बर 88/213 (92) किला नम्बर 11, 12, 13, 19, 20, 7/2/.126 कुल रकबा 2.049 हैक्टर।
4. प्रतिवादी संख्या 4 गुरचरण सिंह :- चक नम्बर 25 एम.एम.के. खाता संख्या 27/124 पत्थर नम्बर 88/211 (79) किला नम्बर 15, 16, 25 पत्थर नम्बर 89/212 (82) किला नम्बर 21 पत्थर नम्बर 88/212 (83) किला नम्बर 5, 6/1/.127 पत्थर नम्बर 89/213 (93) 1, 10 कुल रकबा 1.898 हैक्टर
5. प्रतिवादी संख्या 5 गुरनाम सिंह :- चक नम्बर 25 एम.एम.के. खाता संख्या 27/124 पत्थर नम्बर 89/211 (80) किला नम्बर 21, पत्थर नम्बर 89/212 (82) किला नम्बर 1, 10, 11, 20 कुल रकबा 1.265 हैक्टर मय गैर मुमकिन।
6. प्रतिवादी संख्या 6 लाभ सिंह :- चक नम्बर 25 एम.एम.के. खाता संख्या 27/124 पत्थर नम्बर 88/212 (83) किला नम्बर 6/2/.126, 15, 25 पत्थर नम्बर 88/213 (92) किला नम्बर 5, 6 कुल 1.138 हैक्टर।
7. प्रतिवादी संख्या 07 कोर सिंह :- चक नम्बर 25 एम.एम.के. खाता संख्या 27/124 पत्थर नम्बर 87/212 (84) 5, 6, 15 कुल 0.759 हैक्टर।
8. प्रतिवादी संख्या 8 व 9 धीरसिंह, सुखदीपकौर :- चक नम्बर 25 एम.एम.के. खाता संख्या 27/124 पत्थर नम्बर 88/211 (79) किला नम्बर 22, पत्थर नम्बर 88/212 (83) किला नम्बर 9, 21, पत्थर नम्बर 88/213 (92) किला नम्बर 1/1/.0.084 कुल 0.843 हैक्टर।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 24.10.19 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
ए.प.देन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- कपिल यादव आर.ए.एस.


राजस्व वाद संख्या :- 314/2019

- 1 गुरदास सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति जटसिख साकिन चक 18 एल.एल.डबल्यू. तहसील हनुमानगढ़।
- 2 इकबाल सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति जटसिख साकिन चक 18 एल.एल.डबल्यू. तहसील हनुमानगढ़।
- 3 गुरदीप सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति जटसिख साकिन चक 18 एल.एल.डबल्यू. तहसील हनुमानगढ़।
- 4 परमजीत कौर पत्नी सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू. तहसील हनुमानगढ़।
- 5 देवेन्द्र सिंह पुत्र सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू. तहसील हनुमानगढ़।

— वादीगण

—ः बनाम ः—

- 1 वकील सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू. तहसील हनुमानगढ़।
- 2 पवन कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू. तहसील हनुमानगढ़।
- 3 मुकेश कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू. तहसील हनुमानगढ़।
- 4 गुरचरण सिंह पुत्र जंगीर जाति जटसिख साकिन 18 एल.एल.डबल्यू. तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 5 गुरनाम सिंह पुत्र जंगीर जाति जटसिख साकिन 18 एल.एल.डबल्यू. तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 6 लाभ सिंह पुत्र पुत्र जंगीर जाति जटसिख साकिन 18 एल.एल.डबल्यू. तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 7 कौर सिंह पुत्र नाजर सिंह जाति जटसिख निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 8 धीरा सिंह पुत्र गुरबचनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू. तहसील हनुमानगढ़।
- 9 सुखदीप कौर पुत्री गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू. तहसील हनुमानगढ़।
- 10 जशदीप कौर पुत्री गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू. तहसील हनुमानगढ़।
- 11 अमर सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू. तहसील हनुमानगढ़।
- 12 धन्ना सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू. तहसील हनुमानगढ़।
- 13 नसीब कौर पत्नी मुकंद सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू. तहसील हनुमानगढ़।
- 14 सुखमन्दरसिंह पुत्र मुकंद सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू. तहसील हनुमानगढ़।


लगातार

लगातार

- 15 एकम सिंह पुत्र मुकंद सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू, तहसील हनुमानगढ़।
- 16 सतपाल सिंह पुत्र मुकंद सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू, तहसील हनुमानगढ़।
- 17 सुखदेव सिंह पुत्र कालासिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू, तहसील हनुमानगढ़।
- 18 महेन्द्रसिंह पुत्र काला सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू, तहसील हनुमानगढ़।
- 19 बलदेव सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एल.एल.डबल्यू, तहसील हनुमानगढ़।
- 20 पी.एन.बी. शाखा हनुमानगढ़ जंक्शन
- 21 बैंक आफ बडौदा शाखा हनुमानगढ़ जंक्शन
- 22 एक्सीस बैंक हनुमानगढ़ जंक्शन
- 23 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

— — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :- 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :- ५.१०.१५

वादीगण की ओर से कुमारी सन्तोष पुनियां अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 की ओर से श्री रामकुमार बिश्नोई अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 23 की ओर से राज पैरोकार इस वाद में आज दिनांक ०७.१०.१५ को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वादी संख्या 1, 2, 3 गुरदास सिंह, इकबाल सिंह, गुरदीप सिंह को 7.757 हैक्टर बहिस्सा बराबर, वादी संख्या 4 व 5 परमजीत कौर, देवेन्द्र सिंह को 2.586 हैक्टर बहिरसा बराबर, प्रतिवादी संख्या 01 वकील सिंह को 0.380 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 02 पवन कुमार को 0.872 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 3 मुकेश कुमार को 1.771 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 4 गुरचरण सिंह को 1.898 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 5 गुरनाम सिंह को 1.265 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 6 लाभ सिंह को 1.138 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 7 कौर सिंह को 0.759 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 8, 9 धीरा सिंह, सुखदीप कौर बहिस्सा बराबर 0.844 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 11 अमर सिंह व प्रतिवादी संख्या 10 जशदीप कौर को 1.230 हैक्टर। बहिस्सा बराबर प्रतिवादी संख्या 12 धन्ना सिंह को 0.850 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 13 नसीब कौर 0.503 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 14, 15, 16 सुखमंदर सिंह, एकम सिंह, सतपाल सिंह बहिस्सा बराबर 1.511 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 17 व 18 सुखदेव सिंह महेन्द्र सिंह को बहिस्सा बराबर 0.253 हैक्टर के खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए प्रतिवादी संख्या 19 का नाम इस खाता मे से कलमजन किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :-

1. वादी संख्या 1, 2, 3 इकबालसिंह गुरदास सिंह गुरदीप सिंह बहिस्सा बराबर 7.757 हैक्टर व वादी संख्या 4 व 5 परमजीत कौर, देवेन्द्र सिंह बहिस्सा बराबर 2.586 हैक्टर :- चक नम्बर 25 एम.एम.के. खाता संख्या 27/124 पत्थर नम्बर 88/211 (79) किला नम्बर 14, 17, 18, 23, 24 पत्थर नम्बर 88/212 (83) किला नम्बर 3/1/223, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23, 24 पत्थर नम्बर 89/212 (12) किला नम्बर 2, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24, पत्थर नम्बर 89/211 (80) किला नम्बर 11, 12, 19, 20, 22, पत्थर नम्बर 88/213 (92) किला नम्बर 4, 7, 14 पत्थर नम्बर 89/213 (93) 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 कुल रकबा 10.343 हैक्टर।

सहायक कलक्टर
राजस्थान राज्य
हनुमानगढ़

2. प्रतिवादी संख्या 01 वकील सिंह चक नम्बर 25 एम.एम.के. खाता संख्या 27/124 पत्थर नम्बर 87/213 (91) किला नम्बर 6, पत्थर नम्बर 88/213 (92) किला नम्बर 8/1/.127 कुल तादादी 0.380 हैक्टर।
3. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 पवन कुमार 0.872 हैक्टर, मुकेश कुमार 1.771 हैक्टर :- चक नम्बर 25 एम.एम.के. खाता संख्या 27/124 पत्थर नम्बर 87/212 (84) किला नम्बर 25/2/.152, पत्थर नम्बर 87/213 (91) किला नम्बर 15, 16, पत्थर नम्बर 88/213 (92) किला नम्बर 11, 12, 13, 19, 20, 7/2/.126 कुल रकबा 2.049 हैक्टर।
4. प्रतिवादी संख्या 4 गुरचरण सिंह :- चक नम्बर 25 एम.एम.के. खाता संख्या 27/124 पत्थर नम्बर 88/211 (79) किला नम्बर 15, 16, 25 पत्थर नम्बर 89/212 (82) किला नम्बर 21 पत्थर नम्बर 88/212 (83) किला नम्बर 5, 6/1/.127 पत्थर नम्बर 89/213 (93) 1, 10 कुल रकबा 1.898 हैक्टर।
5. प्रतिवादी संख्या 5 गुरनाम सिंह :- चक नम्बर 25 एम.एम.के. खाता संख्या 27/124 पत्थर नम्बर 89/211 (80) किला नम्बर 21, पत्थर नम्बर 89/212 (82) किला नम्बर 1, 10, 11, 20 कुल रकबा 1.265 हैक्टर मय गैर मुमकिन।
6. प्रतिवादी संख्या 6 लाभ सिंह :- चक नम्बर 25 एम.एम.के. खाता संख्या 27/124 पत्थर नम्बर 88/212 (83) किला नम्बर 6/2/.126, 15, 25 पत्थर नम्बर 88/213 (92) किला नम्बर 5, 6 कुल 1.138 हैक्टर।
7. प्रतिवादी संख्या 07 कोर सिंह :- चक नम्बर 25 एम.एम.के. खाता संख्या 27/124 पत्थर नम्बर 87/212 (84) 5, 6, 15 कुल 0.759 हैक्टर।
8. प्रतिवादी संख्या 8 व 9 धीरासिंह, सुखदीपकौर :- चक नम्बर 25 एम.एम.के. खाता संख्या 27/124 पत्थर नम्बर 88/211 (79) किला नम्बर 22, पत्थर नम्बर 88/212 (83) किला नम्बर 9, 21, पत्थर नम्बर 88/213 (92) किला नम्बर 1/1/.0.084 कुल 0.843 हैक्टर।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिट्टी आज दिनांक 2.10.19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई मुहर

(कामेश यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायका फिलक्टर
हनुमानगढ़

-:: वाद के खर्चे ::-

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	--	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--	अर्जी के लिये स्टाम्प	--
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	--	प्लीडर की फीस	--
..... रुपये पर प्लीडर की फीस	--	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--	आदेशिका की तामिल	--
कमिश्नर की फीस	--	कमिश्नर की फीस	--
आदेशिका की तामिल	--		

